संख्या–1251/पॉच–5–2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक 15 जून 2020

विषयः–विभिन्न जनपदों के शहरी क्षेत्रों में कोविड–19 संक्रमण एवं उससे होने वाली मृत्यु पर प्रभावी नियंत्रण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि शासनादेश संख्या–1184/पांच–5–2020, दिनांक 31.05.2020 (प्रति संलग्न) द्वारा कोविड–19 संक्रमित रोगियों की सघन स्क्रीनिंग एवं त्वरित उपचार हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। यह देखा जा रहा है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों के शहरी क्षेत्रों में दिन–प्रतिदिन कोविड–19 से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि के साथ–साथ एल–2 एवं एल–3 फैसिलिटी पर आने वाले रोगी काफी गम्भीर अवस्था में पहुंच रहे हैं, जिसके कारण विभिन्न जनपदों में कोविड–19 धनात्मक रोगियों की मृत्यु की संख्या में वृद्धि हो रही है। कोविड–19 रोगियों की जांच द्वारा शीघ्र पुष्टि एवं उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने से इस पर प्रभावी नियंत्रण सम्भव है। इस हेतु मजबूत सर्विलांस तंत्र के समुदाय की सहभागिता एवं अर्बन स्लम्स में विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

2– अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कोविड–19 संक्रमण एवं उससे होने वाली मृत्यु पर प्रभावी नियंत्रण हेतु निम्नलिखित कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें:–

1. **सुदृढ़ सर्विलांस तंत्रः**–जनपदीय आर0आर0टी0 टीम द्वारा संदिग्ध कोविड–19 रोगी की सूचना प्राप्त होते ही उसकी तुरन्त आर0टी0पी0सी0आर0 जांच कराना तथा पुष्ट कोविड–19 धनात्मक रोगियों को तत्काल डेडिकेटेड कोविड फेसिलिटी में सन्दर्भित कराने के साथ–साथ निम्नलिखित गतिविधियां संचालित कराने का उत्तरदायित्व हैः–

   a. कॉन्टैक्ट ट्रेसिंगः–जिला सर्विलांस अधिकारी की निगरानी में पुष्ट धनात्मक रोगी के निकट सम्पर्क में आये व्यक्तियों की सूचना एकत्रित करते हुये उन सभी का 24 घण्टे के अन्दर शत–प्रतिशत कोविड–19 हेतु आर0टी0पी0सी0आर0 जांच कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

   जांच में धनात्मक आये व्यक्तियों को तत्काल डेडिकेटेड कोविड फेसिलिटी पर स्थानान्तरित किया जाये तथा ऋणात्मक आये व्यक्तियों को होम क्वारेन्टाईन हेतुघर में अलग रहने के लिये पृथक कमरे एवं शौंचालय की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये अन्यथा की स्थिति में उपरोक्त को फेसिलिटी क्वारेन्टाईन में रखा जाये।

   b. कन्टेनमेन्ट जोन सर्विलांसः–कन्टेनमेन्ट जोन सर्विलांस हेतु जिला प्रतिरक्षण अधिकारी (DIO) को नोडल अधिकारी नामित करते हुये पोलियो आधारित माइक्रोप्लान बनाते हुये निम्नलिखित गतिविधियां सम्पादित की जायें:–

   1. शासनादेश संख्या–1382/2020/सीएक्स–3, दिनांक 31.05.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में इपिसेन्टर एवं पेरीमीटर हेतु निर्धारित किये जायें।
   2. गृह भ्रमण हेतु 2 से 3 सदस्यीय दल का गठन किया जायेगा जिसमें आशा, आंगनबाड़ी एवं क्षेत्रीय पोलियो कार्यकर्ता सदस्य होंगे जो प्रतिदिन प्रातः 08 से अपरान्ह 02 बजे तक क्षेत्र में 50 घरों का भ्रमण करेंगे।

–2–

3. उक्त गठित दल द्वारा भ्रमण के दौरान निम्न कार्यवाही की जायेगीः–
   - कोविड–19 से बचाव से सम्बन्धित सावधानियों के बारे में संवेदीकरण करेंगे तथा आगामी 14 दिन के अन्दर कोविड–19 के लक्षण प्रकट होने पर निकटतम ILI कैम्प/स्वास्थ्य केन्द्र/टॉल फ्री नम्बर पर सूचित करने हेतु निर्देशित करेगी।
   - क्षेत्र में ILI/SARI के लक्षणों वाले व्यक्तियों (बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ) की जानकारी प्राप्त कर निर्धारित प्रारूप पर लाइन लिस्ट तैयार की जायेगी।
   - टीम कार्यदिवस के अन्त में क्षेत्र में पाये गये समस्त सिम्प्टोमेटिक व्यक्तियों की सूची से सुपरवाइजर को अवगत करायेगी।
   - सुपरवाईजर आर0आर0टी0 टीम से समन्वय स्थापित करते हुये लक्षण वाले व्यक्तियों का सैम्पल करायेंगे तथा विसंक्रमण टीम से समन्वय स्थापित करते हुये 1 प्रतिशत हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन से उक्त 50 घरों का विसंक्रमणीकरण करायेंगे।
4. पांच टीम हेतु एक सुपरवाईजर होगा जो प्रतिदिन प्रातः 08 से अपरान्ह 02 बजे तक 2 राउण्ड में टीम द्वारा की जा रही गतिविधियों का अनुश्रवण करेगा तथा टीम द्वारा तैयार की गई लाईन–लिस्ट को कम्पाईल करते हुये जोनल सुपरवाईजर को उपलब्ध करायेगा।
5. 10 सुपरवाईजर हेतु एक जोनल सुपरवाईजर होगा जो प्रतिदिन सांय 04 बजे तक सुपरवाईजर द्वारा उपलब्ध कराई गई लाईन–लिस्ट को कम्पाईल कर नोडल अधिकारी (जिला प्रतिरक्षण अधिकारी) को उपलब्ध करायेगा।
6. नोडल अधिकारी (जिला प्रतिरक्षण अधिकारी) प्रतिदिन सांयकाल में बैठक आहूत करेंगे तथा कार्यदिवस की कमियों में सुधार हेतु निर्देशित करते हुये अगले दिन की कार्ययोजना पर चर्चा करेंगे।
7. आशा द्वारा गृह भ्रमण के दौरान संक्रमण से बचाव हेतु निम्न सावधानियों का पालन किया जायेगाः–
   - अनिवार्य रुप से मास्क लगाना है।
   - समय–समय पर हाथ धोना है अथवा सैनीटाईजर का प्रयोग करना है।
   - कम से कम 2 गज की दूरी से बात करना है।
   - किसी भी घर में कुछ खाना अथवा पीना नहीं है।
   - किसी भी घर के किसी भी वस्तु अथवा कुंडी, दरवाजा आदि को छूना नहीं है।

c- ILI कैम्प्सः– ऐसे सभी हॉट–स्पॉट जहां से अधिक संख्या में पुष्ट कोविड–19 रोगी पाये जा रहे हैं के पास ILI कैम्प आयोजित किये जायें। जहां आस–पास के क्षेत्र से आने वाले सभी ILI रोगियों की लाईन–लिस्ट बनाकर सभी व्यक्तियों के सैम्पल लेकर आर0आर0टी0 टीम के माध्यम से सम्बन्धित लैब को जांच हेतु प्रेषित किया जाये तथा उन्हें उपचार उपलब्ध कराया जाये।

d- पैसिव सर्विलांसः– सभी पब्लिक/प्राइवेट चिकित्सालयों में जांच एवं उपचार हेतु आने वाले SARI/ILI के सभी रोगियों के सैम्पल लेते हुये उन्हें जांच हेतु सम्बन्धित प्रयोगशाला को भेजा जाये तथा रोगियों की सूची प्रतिदिन आर0आर0टी0 टीम को उपलब्ध कराई जाये।

- ILI Camp एवं पैसिव सर्विलांस द्वारा चिन्हित ILI/SARI के रोगियों की दैनिक सूचना आर0आर0टी0 टीम को उपलब्ध कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। शून्य की सूचना भी उपलब्ध कराई जाये।

2. **अर्बन स्लम्स में की जाने वाली गतिविधयांः–**
   a. विभिन्न NGO/DUDA कर्मियों/स्वयं सहायता समूह के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करते हुये व्यापक प्रचार–प्रसार के कार्यक्रम चलाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

b. सामाजिक दूरी/मास्क का प्रयोग एवं हाथ धोने सम्बन्धी क्रियाओं का प्रदर्शन करते हुये समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित की जाये साथ ही साथ कोविड–19 के लक्षण यथा खांसी, बुखार, सांस लेने में परेशानी के बारे में अवगत कराया जाये तथा लक्षण प्रकट होने की स्थिति में निकटतम स्वा0केन्द्र/टॉल फ्री नम्बर पर सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाये।

c. अर्बन पी0एच0सी0 द्वारा नियमित स्वास्थ्य कैम्प्स का आयोजन करते हुये स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाये तथा कोविड–19 सम्बन्धित लक्षण (ILI/SARI) पाये जाने पर ऐसे व्यक्तियों की जांच एवं उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

3. **समुदाय की सहभागिताः**–ग्रामीण क्षेत्रों में कम्युनिटी सर्विलांस एवं प्रचार–प्रसार की गतिविधियां फ्रन्ट लाईन कर्मियों के द्वारा सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं। शहरी क्षेत्रों में फ्रन्ट लाईन कर्मियों की अपेक्षाकृत कमी को देखते हुये दिशा–निर्देश निम्नवत् हैंः–

a. शासनादेश संख्या–1151/पांच–5–2020, दिनांक 28.05.2020 के क्रम में कोविड–19 महामारी से बचाव एवं राहत कार्यों हेतु अधिक से अधिक संख्या में कोविड वालेन्टियर्स का http://dgmhup.gov.inien/volunteerRegistration द्वारा जनपदवार पंजीकरण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिस हेतु उच्च शिक्षा विभाग से सहयोग लिया जा सकता है।

b. सभी पंजीकृत कोविड वालेन्टियर्स Zoom link अथवा अन्य Weblink द्वारा कोविड–19 के बचाव/नियंत्रण हेतु सावधानियों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान किया जाये।

c. उपरोक्त वालेन्टियर्स द्वारा विभिन्न जनपदों में स्वास्थ्य विभाग के साथसमुदाय स्तर पर वृहद प्रचार–प्रसार/स्वास्थ्य शिक्षा हेतु गतिविधियां संचालित की जायें।

d. प्रचार–प्रसार हेतु फ्लायर्स/हैण्डबिल्स/पोस्टर के अतिरिक्त माइकिंग का भी प्रयोग किया जाये।

e. शहरी क्षेत्रों में मल्टी स्टोरी अपार्टमेन्ट्स में रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के साथ मिलकर प्रचार–प्रसार का कार्य किया जाये।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

15-6-20

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1251(1)/पांच–5–2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
2. निदेशक, संचारी रोग, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

Pankaj/GO/COME-3

संख्या–1184/पांच–5–2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवामें,

1. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
मण्डलीय/जिला/जिला संयुक्त चिकित्सालय,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊ, दिनांक 31 मई, 2020

विषय–कोविड–19 संक्रमित रोगियों की सघन स्क्रीनिंग एवं त्वरित उपचार के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि देश के अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार एवं अन्य लोग प्रदेश में वापस आ रहे हैं, जिनमें काफी संख्या में कोविड–19 संक्रमित रोगी पाये जा रहे हैं। कोविड संक्रमित रोगी से कतिपय Vulnerable रोगियों की चिकित्सा पर विशेष ध्यान देकर इनकी बेहतर चिकित्सा करते हुए मृत्युदर को न्यून किया जा सकता है।

शासन स्तर से कोविड–19 के दृष्टिगत प्रवासी कामगारों के प्रदेश लौटने पर स्क्रीनिंग/क्वारेन्टाइन करने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश शासनादेश संख्या–1031/पांच–5–2020 दिनांक 01 मई, 2020 में निर्गत किये जा चुके है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोंपरान्त कोविड–19 के रोगियों की स्क्रीनिंग एवं त्वरित उपचार के लिए निम्नलिखित दिशा–निर्देश निर्धारित किए गए हैं:–

(1) होम क्वारेन्टाइन के दौरान सावधानियॉ

होम क्वारेन्टाइन में रहने वाले सभी व्यक्तियों को यह बताना आवश्यक है कि इस दौरान खॉसी, बुखार, सॉस फूलने आदि लक्षण प्रकट होने पर इसकी सूचना जनपद/राज्य के टोल फ्री नम्बर पर तत्काल दी जाय तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा इस पर त्वरित कार्यवाही की जाय।

आशा द्वारा गृह भ्रमण करने के दौरान भी 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों अथवा अन्य बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों अथवा खॉसी बुखार एवं सॉस लेने में तकलीफ आदि लक्षण वाले व्यक्तियों को चिन्हित करते हुये उसकी सूचना तत्काल प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को दी जाय तथा प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा इस पर त्वरित कार्यवाही की जाए।

(2) क्वारेन्टाइन फेसिलिटी में मरीजों का सघन परीक्षण

क्वारेन्टाईन फेसिलिटी में तैनात आयुष चिकित्सकों की तीनों शिफ्टों में ड्यूटी निर्धारित करते हुये प्रत्येक शिफ्ट में वहां रहने वाले सभी व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित किया जाये तथा पल्स आक्सीमीटर द्वारा SpO2 की जॉच की जायेगी। यदि आवश्यक हो तो आयुष चिकित्सकों के साथ फार्मासिस्ट भी तैनात किये जा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति में सांस लेने में परेशानी/सांस फूलने के लक्षण पाये जाने तथा SpO2,94 प्रतिशत कम होने पर तत्काल डेडीकेटेड एम्बुलेन्स के माध्यम से जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में सन्दर्भित किया जाये।

(3) डेडिकेटेड कोविड फेसिलिटी पर भर्ती किये गये सभी रोगियों का सघन परीक्षण, जाँच तथा सन्दर्भन

3.1 प्रत्येक शिफ्ट में तैनात चिकित्सकों/स्टाफ नर्सों द्वारा नियमित राउन्ड लेते हुये रोगियों की सामान्य स्थिति पर निगरानी रखी जाये। इस दौरान प्रत्येक शिफ्ट में हर रोगी की पल्स ऑक्सीमीटर से अनिवार्य रुप से जांच की जाये साथ ही रेस्पेरेटरी डिस्ट्रेस के सामान्य लक्षण जैसे नेजल फ्लेरिंग/तीव्र स्वास दर/पसली के चलने हेतु भी निगरानी रखी जाये।

3.2 डेडिकेटेड कोविड फेसिलिटी पर भर्ती किये गये सभी रोगियों की कोमॉर्बिडिटी हेतु ब्लड शुगर एवं ब्लड प्रेशर की जांच अनिवार्य रुप से की जाये।

3.3 निम्नलिखित परिस्थितियों में रोगी को तत्काल डेडीकेटेड एम्बुलेन्स के माध्यम से एल–2/एल–3 चिकित्सालय पर सन्दर्भित किया जायेः–

- एक से अधिक कोमॉर्बिडिटी जैसे हाइपर टेंशन + डायबिटीज मेलाइटस
- 60 वर्ष से अधिक आयु के साथ एक कोमॉर्बिडिटी कन्डीशन
- ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 प्रतिशत से कम
- रैण्डम ब्लड शुगर 250 मि0ग्रा0 प्रतिशत से अधिक
- रेस्पेरेटरी डिस्ट्रेस के लक्षण (साँस फूलना/साँस लेने में परेशानी) वाले रोगी

3.4 डेडिकेटेड कोविड चिकित्सालयों में तैनात अधीक्षकों द्वारा प्रतिदिन तथा नोडल अपर मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा सप्ताह में 3 दिन उपरोक्त की समीक्षा अनिवार्य रूप से की जाये। राज्य स्तर से तैनात नोडल/संयुक्त/अपर निदेशकों द्वारा भी चेकलिस्ट का प्रयोग करते हुये सभी क्वारेन्टाइन/कोविड फैसिलिटी/नान कोविड फैसिलिटी का दैनिक अनुश्रवण करेंगे तथा अपनी रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।

कृपया कोविड–19 रोगियों की मृत्यु दर में कमी लाने हेतु उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने का कष्ट करें।

भवदीय,

31.5.20

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1184(1)/पांच–5–2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
2. निदेशक, एन0सी0डी0सी0, भारत सरकार, 22 शामनाथ मार्ग, दिल्ली– 110054
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

31/5/2020

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

sunil sir go com-3